कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 13.09.2017

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन राज. जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.2017 को सांय 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक मैं. लिछमानी कन्स्ट्रक्शन कं. फलौदी (जोधपुर) को अनुबंध संख्या 54 वर्ष 2010–11 द्वारा आवंटित कार्य "Renovation of Dam & Canal work of Khandel, Bharai, Chowkri, Dhilli (JICA PKG 62B)Tehsil- Railmagra Distt- Rajsamand" के क्लॉज–23 के अन्तर्गत प्रस्तुत क्लेम्स पर निर्णय लिये जाने हेतु आयोजित बैठक में सुनवाई की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारी (सदस्य) उपस्थित हुये :–

(1) श्री लोकेश तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(2) श्री अशोक तिवाड़ी, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(3) श्री एम. आर डूडी, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
(4) श्री राजेश कुमार टेपण, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।

विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड़, राजसमन्द एवं संवेदक की ओर से अधिकृत अधिवक्ता श्रीमति कविता भाटी उपस्थित हुये।

उपरोक्त कार्य के संवेदक मैसर्स लिछमानी कन्सट्रक्शन कम्पनी फलौदी (जोधपुर) द्वारा पूर्व में एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी को प्रस्तुत 5 नं. क्लेमस राशि रू. 4298053.55 को आयोजित एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक दिनांक 09.09.14 में लिये गये निर्णय में निरस्त कर देने के फलस्वरूप संवेदक द्वारा दिनांक 18.12.2014 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 मध्यस्थ एव सुलह अधिनियम के अन्तर्गत एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी द्वारा दिनांक 09.09.2014 को पारित पचांट को अपास्त करने बाबत् माननीय जिला न्यायालय राजसमन्द में पेश कर प्रकरण संख्या 07/15 मु. दी. (38) दायर किया गया। माननीय अपर जिला न्यायाधीश राजसमन्द ने अपने निर्णय दिनांक 18.10.2016 द्वारा दिये गये आदेशानुसार "प्रार्थी (संवेदक) द्वारा विपक्षीगण (विभाग) के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 माध्यमस्थम एवं सुलह अधिनियम स्वीकार कर स्टेण्डिंग कमेटी द्वारा पारित पंचाट दिनांक 09.09.14 को अपास्त किया जाकर उक्त प्रकरण विपक्षीगण/स्टेडिंग कमेटी को पुनः प्रतिप्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि, इस मामले में प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त सम्यक एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुये धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानो के तहत प्रार्थी के क्लेम का निस्तारण करें।"

फलस्वरूप माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.16 की अनुपालनार्थ उप सचिव एवं प्रावै. सहा. वास्ते मुख्य अभियन्ता जल संसधन राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 2264–65 दिनांक 10.05.2017 द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु कमेटी का गठन कर दिनांक 23.05.2017 सांय 04.00 बजे बैठक आयोजित की गई। दिनांक 23.05.2017 को आयोजित एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक में संवेदक फर्म ओर से उपस्थित अधिकृत अधिवक्ता श्रीमति कविता भाटी द्वारा रिजोईण्डर प्रस्तुत किया, फलस्वरूप कमेटी द्वारा अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर को उक्त रिजोईण्डर का प्रत्युत्तर क्लेमेन्ट को दिया जाने व रिजोईण्डर एवं जवाब के तथ्य एजेण्डा में

सम्मिलित करते हुये कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप खंड कार्यालय द्वारा तैयार किये गये संशोधित एजेण्डा नोट की प्रति अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर के पत्रांक 18542–46 दिनांक 18.07.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर व संवेदक को प्रेषित किया गया।

तदुपरान्त एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक दिनांक 13.09.2017 को सांय 04.00 बजे आयोजित की गई, बैठक में संवेदक फर्म की और से उपस्थित अधिकृत अधिवक्ता श्रीमति कविता भाटी द्वारा पुनः रिजोईण्डर प्रस्तुत करना चाहा, किन्तु कमेटी द्वारा पुनः रिजोईण्डर प्राप्त कर अस्वीकर कर दिया गया एवं समस्त बिन्दुओं पर पुनः विचार कर कमेटी ने यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पूर्व में दिनांक 09.09.2014 को कमेटी ने जो निर्णय पारित किया था, वह उचित हैं। अतः पूर्व में पारित निर्णय को यथावत रखा जाता हैं।

(राजेश कुमार दर्पण)	(एम. आर. डूडी)	(लोकेश तिवाड़ी)	(अशोक पाठक)	(शिखर अग्रवाल)
अति. मुख्य अभियन्ता,	अति. सचिव एवं	संयुक्त विधि परामर्शी,	संयुक्त शासन सचिव,	प्रमुख शासन सचिव
जल संसाधन सम्भाग,	मुख्य अभियन्ता,	प्रतिनिधि विधि विभाग	प्रतिनिधि वित्त विभाग	जल संसाधन विभाग
उदयपुर	जल संसाधन राज, जयपुर			राजस्थान, जयपुर।